

हरियाणा सरकार  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग  
अधिसूचना  
दिनांक 01 अप्रैल, 2016

संख्या पी एफ 27ए/ 6519.- —हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम 8), की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ऐसे सभी व्यक्तियों, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन वहन करने योग्य आवासन प्लॉटिड पॉलिसी, 2016 अर्थात् दीन दयाल जन आवास योजना के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, को उक्त पॉलिसी के अधीन विनिर्दिष्ट सभी निबन्धनों, शर्तों तथा पॉलिसी पैरामीटर की सुस्पष्ट स्वीकृति देने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा दिये गए वचन को प्रस्तुत करने के अधीन, उक्त पॉलिसी के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार निदेशक द्वारा अवसंचरणा विकास प्रभारों, परिवर्तन प्रभारों तथा अनुज्ञप्ति फीस तथा बाह्य विकास प्रभारों की सीमा तक भुगतान से छूट देते हैं ।

पी. राघवेन्द्रा राव,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**  
**Notification**  
**The 1st April, 2016**

**No. PF-27A/6519.-** In exercise of the powers conferred by section 23 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Governor of Haryana hereby exempts all such persons who submit application for grant of licence under the Affordable Plotted Housing Policy, 2016 namely Deen Dayal Jan Awas Yojna under section 3 of the said Act, from payment of infrastructure development charges, conversion charges and limit the recovery of license fee and external development charges by the Director as per the rates specified under the said policy, subject to submission of an undertaking by such person conveying unequivocal acceptance of all terms, conditions and policy parameters specified under the said policy.

P. RAGHAVENDRA RAO,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Town and Country Planning Department.